International Research Journal of Commerce and Law
Volume 7 Issue 04, April 2020 ISSN: 2349-705X Impact Factor: 5.486
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 का वि"लेषण

डॉ0 अनुपमा वर्मा, एसो0 प्रोफेसर, अर्थ"ाास्त्र विभाग, तिलक महाविद्यालय औरैया

दे"ा में व्याप्त गरीबी, कुपोषण व भुखमरी की समस्या के समाधान एवं गरीबों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने के लिये सरकार ने मजदूरी पकर रोजगार कार्यक्रमों द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराये हैं व उनकी आय में वृद्धि की है। वहीं सार्वजनिक वितरण प्रणाली दूसरे महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में खाद्य सुरक्षा प्रदान करती है। खाद्य सुरक्षा निर्धनों को निरन्तर प्रदान करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कई बार सं"ाोधन किया गया। पूर्ववर्ती सार्वजनिक वितण प्रणाली मूल रूप से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न सुरक्षा देने में असफल रही, इसके लाभ ग्रामीण गरीबों तक नहीं पहुँच पा रहे थे, भ्रष्ट्राचार की अधिकता, पारदर्"िाता की कमी आदि अनेकों समस्यायें थी। अतः जून 1997 में सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को वि"ोष अलग कार्ड जारी करने और कम मूल्य पर खाद्यान्न देने की प्रणाली को स"ाक्त एवं भ्रष्ट्राचार मुक्त करने के लिये लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अतिरिक्त खाद्यान्न अनुदान लागू किया। जिससे कि सम्पूर्ण उपभोक्ता खाद्य सहायता को गरीबी की रेखा के नीचे के लोगों तक पहुचाया जा सकें।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन को और अधिक प्रभावी बनाने तथा गरीबों की खाद्य सुरक्षा को निरन्तर प्रदान करने के लिये बनाया गया है। यह मूल रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण

प्रणाली ही है। इसका पुर्नगठन इस अधिनियम के द्वारा किया गया है। गरीबों को प्रदान की जाने वाली खाद्य सहायता उपलब्ध कराने का मुख्य उद्दे''य उनकी खाद्य सुरक्षा सुनि''चत करना है। इसके प्रारम्भिक चरण में खाद्य सहायता चावल, गेंहू व मोटे अनाज तक सीमित रखी है। इससे पूर्व में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे में रही चीनी व मिट्टी के तेल को इसके क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इनको नियंत्रण मुक्त करके इनकी लेवी समाप्त कर दी गयी है।

राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 को विभिन्न चरणों में लागू किया गया तथा उसमें समय–समय पर सं''ोधन किया गया इसका तिथिवार संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है–

खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 से सम्बन्धित प्रमुख तिथियाँ

तिथि	महत्वपूर्ण कार्य (अध्यादे''ा)
05 जुलाई 2013	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम अध्यादे''ा (NFSO) पारित
20 अगस्त 2013	हरियाणा ने सबसे पहले राज्य का दर्जा खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम लागू करके पाया
26 अगस्त 2013	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम लोक सभा में पारित
10 सितम्बर 2013	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी
11 फरवरी 2014	केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की प्रेस विज्ञप्ति

30 जून 2014	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का प्रथम विस्तार
28 नवम्बर 2014	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का द्वितीय विस्तार
25 जनवरी 2015	खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता नियम 2015 केन्द्र सरकार
20 मार्च, 2015	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सं"गोधन पीले कार्ड धारक के नये परिवार नहीं जोड़े जायेंगे
4 अप्रैल 2015	राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम का तृतीय विस्तार
21 अगस्त 2015	केन्द्र सरकार द्वारा 2015 में खाद्यान्न सहायता नियमों में नकद हस्तान्तरण
28 अक्टूबर 2015	लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सं"गोधन पीले कार्ड धारकों को हटाया गया
1 नवम्बर 2015	सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदे"ाों में IGMSY योजना के अन्तर्गत सभी गर्भवती महिलाओं को रू0 6000 रू0 तक का लाभ
31 दिसम्बर 2016	

4.2 खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत प्रमुख खाद्यान्नः— इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न फसलों का आंवटन सम्पूर्ण भारत में सभी निर्धन परिवारों के लिए करने का प्रावधान किया गया है। इसके अन्तर्गत प्रमुख खाद्यान्न में प्रथम

चरण गेंहू, चावल व मोटे अनाज रखे गये जिनको 2 रू0, 3 रू0 एवं 1 रू0 किलो के हिसाब से गरीबों को वितरित किये जायेंगे। द्वितीय चरण में इसमें प्रमुख दलहन फसलें व तिलहन फसलों को प्रदान करने का सं''गोधन किया गया है। लेकिन अभी यह लागू नहीं किया गया।

4.3 लक्षित लाभार्थी

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के वो लाभार्थी रखे गये हैं। इसमें लघु कृषक, सीमान्त कृषक, भूमिहीन श्रमिक, ग्रामीण हस्तकार, विधवायें व विकलांग व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्रों के निर्माण श्रमिक, घरेलू नौकर, फुटपाथ व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को रखा गया। इस अधिनियम में, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी के कवरेज का प्रावधान है, इस प्रकार लगभग दो–तिहाई आबादी कवर की जाएगी। पात्र व्यक्ति चावल/गेहूं/मोटे अनाज क्रमशः 3/ 2/1 रूपए प्रति किलोग्राम के राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह प्राप्त करने का हकदार है। मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना परिवार, जिनमें निर्धनतम व्यक्ति शामिल हैं, 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति परिवार प्रति माह प्राप्त करते रहेंगे।

इस अधिनियम में महिलाओं और बच्चों के लिए पौषणिक सहायता पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान तथा बच्चे के जन्म के 6 माह बाद भोजन के अलावा कम से कम 6000 रूपए का मातृत्व लाभ प्राप्त करने की भी हकदार हैं। 14 वर्ष तक की

आयु के बच्चे भी निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन प्राप्त करने के हकदार हैं। हकदारी के खाद्यान्नों अथवा भोजन की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करेंगे।

यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण एतिहासिक अधिनियम था जिसमें गरीबों की गरीबी व भुखमरी की समस्याओं का समाधान वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार ने किया है। यह अधिनियम भारत सरकार द्वारा सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदे''ाों के लिये बाध्यकारी है। सभी प्रदे''ा सरकारें अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के अनुसार इस अधिनियम को समयवद्ध तरीकें से क्रियान्वित करेंगी। खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 का वि''लेषण करते समय हमने इसके विभिन्न प्रावधानों, वि''ोषताओं एवं पूर्ववर्ती वितरण प्रणालियों के ऊपर सुधार का अध्ययन किया।

राश्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रमुख प्रावधानः— इस अधिनियम को सम्पूर्ण भारतवर्ष में लागू किया गया इसके प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है—

1. **भोजन के अधिकार को वैधानिक मान्यताः**— भारत के संविधान के 42वें अनुच्छेद के अनुसार,

इस अनुच्छेद के अनुपालन में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत भोजन के अधिकार को वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी।

2. **निर्धन परिवारों को पांच किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्नों की वैधानिक मान्यताः**— राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अनुसार निर्धन परिवारों को पांच किलो ग्राम

प्रति व्यक्ति प्रति माह खाद्यान्नों की वैधानिक मान्यता प्रदान की गयी है। इसमें अन्तोदय परिवारों के लिए भी खाद्यान्नों को कम मूल्यों पर देने का प्रावधान किया गया।

3. **खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में कमी का प्रावधानः**— राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में कमी का प्रावधान में चावल तीन रू0 प्रति किलो, गेंहू 2 रू0 प्रति किलो तथा मोटा अनाज 1 रू प्रति किलो मिलेगा। अभी तक खाद्यान्नों के निर्गम मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
4. **राज्य सरकारों द्वारा पात्र गरीब परिवारों का चयनः**— राज्य सरकारों का कार्य पात्र गरीब परिवारों का चयन करना है। पहले तीन प्रकार के रा''नकार्ड गरीबी रेखा से ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे व अन्त्योदय कार्ड बनाये जाते थे। वर्तमान व्यवस्था में गरीबी रेखा से नीचे व अन्त्योदय कार्ड बनाये जा रहे है। इस प्रकार सरकार ने गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों को मिलने वाली खाद्य सहायता बन्द कर दी है।
5. **खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधानः**— राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद बी के अन्तर्गत निर्धन परिवारों को खाद्यान्न सहायता न मिलने पर उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा भत्ता की गणना न्यूनतम समर्थन मूल्य व निर्गम मूल्य को ध्यान में रखकर किया जायेगा।

6. **महिलाओं व बच्चों के लिए पौश्टिक आहार योजना प्रदान करना।** राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ के लिए अनुदान दिया जायेगा तथा बालकों को एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम व मिड–डे भोजन योजना के अन्तर्गत अनुदान दिया जायेगा।
7. **ि"ाकायत पर कार्यवाही व दण्ड का प्रावधानः**– राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत रा"ान कार्ड धारक की ि"ाकायत पर अविलम्ब कार्यवाही के निर्दे"ा दिये गये है। वे ऑनलाइन ि"ाकायत रा"ान वितरकों व जिला पूर्ति कार्यालय की कर सकती है। जांच के उपरान्त ि"ाकायत सही पाये जाने पर दण्ड का भी प्रावधान है।
8. **राज्य स्तरीय खाद्यान्नों के आंवटन की यातायात लागते केन्द्र द्वारा वहन करने का प्रावधानः**– राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत खाद्यान्नों के आंवटन में यातायात व्यय के वहन की समस्या थी। इस अधिनियम ने राज्य स्तरीय खाद्यान्नों के आंवटन की यातायात लागते केन्द्र द्वारा वहन करने का प्रावधान किया है।
9. **घर द्वार तक खाद्यान्नों का आंवटन सुनि"िचत करनाः**– राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत प्रत्येक घर द्वार तक खाद्यान्नों का आंवटन सुनि"िचत करने का लक्ष्य प्रदे"ा सरकार को दिया है। वह सभी गरीब परिवारों को खाद्यान्नों का आंवटन प्रति माह सुनि"िचत करेगी।

10. **लक्षित सार्वजनिक वितरण प्राणाली का डिजटलीकरणः**—सार्वजनिक वितरण प्राणाली में आव''यक सुधारों के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्राणाली का डिजटलीकरण आव''यक था। अतः राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्राणाली के डिजटलीकरण का प्रावधान किया गया है। अब सभी सूचनायें इण्टरनेट के माध्यम से केन्द्र व राज्य सरकार को निरन्तर जिला स्तर से प्राप्त होती रहती है।

11. **रिकार्डों की पारद''िर्ता के लिए जन सूचना अधिकार अनिधनियम का प्रावधानः**— जन सूचना अधिकार अनिधनियम का प्रावधान इस राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के अनुच्छेद 3(1) के अन्तर्गत किया गया है जिससे रा''ानकार्ड धारकों की संख्या खाद्यान्न आंवटन, खाद्यान्न सहायता आदि सम्बन्धित रिकार्डों की उपलब्धता सुनि''चत हो सके।

12. **खाद्यान्नों का वितरण लाभार्थी के आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधानः**— इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्नों का वितरण लाभार्थी के आधार कार्ड से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। इससे अपात्र लाभार्थी व फर्जी रा''ानकार्ड धारक खाद्यान्न नहीं प्राप्त कर पायेंगे। अब खाद्यान्न वितरण में पूरे उत्तर प्रदे''ा में थम्ब इम्प्रे''ान के द्वारा खाद्यान्नों का वितरण किया जा रहा है।

13. **नगद स्थानान्तरण व खाद्य कूपन योजना का प्रारम्भः**– इस अधिनियम के अन्तर्गत नई खाद्यान्न सहायता योजना क्रियान्वित की गयी है। इनमें से मुख्य नगद स्थानान्तरण व खाद्य कूपन योजना का प्रारम्भ किया गया है। इन योजनाओं अभी केन्द्र शासित प्रदे''ाों पर प्रायोगात्मक रूप में लागू किया गया है।

राश्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 की वि''ोशताएंः– ग्रामीण निर्धनों को एवं शहरी क्षेत्र के निर्धनों को खाद्यान्न सुरक्षा सुनि"चत करने के लिए यह अधिनियम लागू किया गया है। इसकी प्रमुख वि''ोषताएं निम्नलिखित हैः–

1. **गरीब परिवारों की सहायता में वृद्धिः**–लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में तीन प्रकार के रा''ान कार्ड धारक थे– गरीबी रेखा के ऊपर, गरीबी रेखा से नीचे व अन्त्योदय कार्ड धारक । इस अधिनियम के लागू होने के बाद गरीबी रेखा से ऊपर के रा''ान कार्ड धारकों को उचित मूल्य की दुकानों से मिलने वाली सभी सुविधायें बंद करने का कार्य सभी राज्य सरकारों ने किया है। इससे समयबद्ध चरणों में गरीबी रेखा से ऊपर कम होने वाली खाद्यान्न सहायता की रा"ा का प्रयोग गरीब परिवारों की सहायता में किया जा रहा है।
2. **आधार कार्डों से जोड़नाः**– रा''ान कार्डों को आधार कार्डों से जोड़ने का कार्य बहुत तेजी से लागू किया गया । इससे फर्जी रा''ान कार्ड व अपात्र लाभार्थियों की संख्या में कमी आयेगी तथा अंगूठा नि''ाान के

आधार पर ही रा''ान का वितरण सुनि"चत किया जायेगा। यह कार्य सम्पूर्ण भारत में लगभग 80 प्रति''ात हो गया है।

3. **क्षेत्रीय विशमता की समाप्तिः**— पूर्व की सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया था। उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न व अन्य वस्तुयें पहुंचाना भी एक समस्या थी । इसमें विषमता की समाप्ति पर वि''ोष बल दिया गया है । अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।
4. **खाद्यान्नों का नियमित आबंटनः**— खाद्यान्नों की नियमित आपूर्ति का कार्य राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार ने सौपां है। वे खाद्यान्नों का नियमित आबंटन जिला स्तर पर सुनि"चत करेगें तथा जिलापूर्ति अधिकारी जिले में खाद्यान्नों का समय से वितरण करायेंगे।
5. **नगद अन्तरण नियमावली बनाने की अधिसूचनाः**— इस अधिनियम के अर्न्तगत दिनांक 21.08.2015 से राज्यों को लाभार्थियों के लिये नगद अन्तरण नियमावली बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है । इसके अन्तर्गत प्रत्येक राज्य /संघ की सहमति से यह योजना क्रियान्वित की जायेगी । इस प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण योजना में लाभार्थियों के बैंक खाते में खाद्यान्न सहायता सीधे पहुँच जायेगी और वे खुले बाजार में कहीं से भी खाद्यान्न खरीदने के लिए स्वंतत्र होगे।
6. **खाद्यान्न सहायता पर वि''ोश बलः**— इस अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न सहायता पर वि''ोष बल दिया गया है । अब निर्धन परिवारों के

प्रति मास निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न प्राप्त होते रहेगें । यदि किसी मास खाद्यान्न आंबटन शेष रह गया है तो उसकी भरपाई अगले मास किये जाने की भी व्यवस्था है। उचित मूल्य की दुकानों पर वितरण का कार्य करवायेगा।

7. **गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नः**— इस अधिनियम में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्नों का उपलब्ध कराने पर भी बल दिया गया है। ि"ाकायत मिलने पर उचित मूल्य की दुकानों पर कार्यवाही की जायेगी।
8. **ि"ाकायत निपटान तंत्रः**— इस अधिनियम में जिला और राज्यस्तरों पर ि"ाकायत निपटान तंत्र के गठन का प्रावधान किया गया है। अब ि"ाकायतकर्ता आनलाइन ि"ाकायत कर सकता है । उसकी ि"ाकायत का निपटारा कर सकता है । उसकी ि"ाकायत का निपटारा जिलापूर्ति कार्यालय के अधिकारी करेगें।
9. **अतिरिक्त खाद्य सुरक्षाः**— यह योजना केवल केन्द्र शासित प्रदे"ाों में लागू की गई है तथा भारत के विभिन्न राज्यों में क्रियान्वित नहीं है । इस योजना से अनेकों अपव्ययों में कमी आयेगी जिसमें गरीबों को अतिरिक्त खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी ।
10. **भारतीय खाद्य निगम व राज्य भंडार निगमों की महत्वपूर्ण भूमिकाः**— इस अधिनियम के क्रियान्वयन में भारतीय खाद्य निगम व राज्य भंडार निगमों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । पूरे दे"ा में निरन्तर खाद्यान

आपूर्ति को सुनि"चत करने के लिये भारतीय खाद्य निगम को अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है व उसके कार्यों में निम्न परिवर्तन किया गया है ।

(अ) इस अधिनियम में लक्षित परिवारो की संख्या में बृद्धि की गई तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कवरेज क्षेत्र बढ़ाया गया । इसके लिये खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडारों की आव"यकता थी । अतः भारतीय खाद्य निगम व राज्य भंडार निगमों को भंडारण क्षमता में बृद्धि किया गया । राज्य सरकारों को खाद्यान्नों के भंडारण के लिये अलग से अनुदान भी प्रदान किया गया है ।

(ब भारतीय खाद्य निगम के पास अतिरिक्त खाद्यान्न भंडार थे । पुराने खाद्य भंडारों को रख–रखाव का अतिरिक्त कम था तथा बहुत से खाद्यान्न चूहे व कीड़ों के कारण बरबाद हो जाते थे । अतः पुराने खाद्य भंडारों के स्टाक को कम करके गरीबों में वितरण किया गया ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि खाद्यानों का वितरण प्रति माह निरन्तर हो सके उनको अतिरिक्त खाद्यान खरीदने के लिये कहा गया तथा उनका भंडारण बदं गोदामों में करने की अतिरिक्त व्यवस्था की गई ।

(द) इस अधिनियम की सफलता भारतीय खाद्य निगम की खरीद व भंडारण क्षमता पर निर्भर है । अतः भारतीय खाद्य निगम को अतिरिक्त कार्य समुचित मात्रा में समय खरीद मूल्य पर बाजारों व कृषकों से खाद्यान्नों का क्रय करके इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार खाद्यान्नों का आवंटन करवायेगें ।

(ड) भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों की खरीद के साथ–साथ उनकी ढुलाई व यातायात व्यवस्था के उचित प्रबन्ध करने की भी जिम्मदारी सौंपी गई । खाद्यान्नों की होने वाली बरवादी को रोकने के लिये अच्छे किस्म के बोरों में खाद्यान्नों की ढुलाई की व्यवस्था की गई है।

11.**खाद्य सब्सिडी में निरन्तर बृद्धिः**– इस अधिनियम के लागू होने के बाद खाद्य सब्सिडी में निरन्तर बृद्धि हुई है । इस अधिनियम के जुलाई 2013 में लागू होने के बाद से खाद्यान्न सब्सिडी बिल 2014–15 के सं0 113171 करोड़ रूपये से बढ़कर 2018–19 में रूपये 171127 करोड़ हो गया है ।

12.**सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता समितियाँः**– पारदर्”िता और जबावदेही सुनि”चत करने के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित रिकार्ड सार्वजनिक करने के लिये सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता समितियाँ स्थापित किये गये हैं।

13.**बुजुर्ग सदस्य घर का मुखियाः**– 18 साल या अधिक की सबसे बुजुर्ग महिला रा”ान कार्ड जारी करने के लिये घर की मुखिया होगी । अगर महिला सदस्य नहीं है तो परिवार का सबसे बुर्जग सदस्य घर का मुखिया होगा ।

राश्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन में कमियांः–

केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 बनाने के बाद इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकारों की भूमिका काफी ”िाथिल रही है। उन्होंने इस

अधिनियम को लागू करने में सक्रियता नहीं दिखायी। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां है–

1. **सभी राज्यों द्वारा अधिनियम एक साथ लागू न करनाः**– इस अधिनियम के लागू होने के बाद केन्द्र ने सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदे''ाों को इस अलिबम्ब लागू करने का सुझाव दिया था परन्तु सभी राज्यों ने इस अधिनियम को एक साथ लागू नहीं किया गया। यद्यपि सभी राज्यों ने इसे लागू कर दिया है।
2. **डिजीटलीकरण की धीमी प्रक्रियाः**– भारत के सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदे''ाों में डिजीटलीकरण की धीमी प्राक्रिया रही है।
3. **खाद्यान्नों तक सीमितः**– सभी राज्य सरकारों व केन्द्र शासित प्रदे''ाों को इस अधिनियम को खाद्यान्नों पर लागू करने का सुझाव दिया था अतः यह अधिनियम खाद्यान्नों तक सीमित है तथा दलहन व तिलहन को इसमें लागू नहीं किया गया। इससे उपभोक्ताओं को पूरी खाद्य सुरक्षा नहीं मिल पा रही है।
4. **f''ाक्षा का अभावः**– भारतवर्ष में निर्धन परिवारों में f''ाक्षा का अभाव है एवं बहुत से परिवार अनपढ़ हैं । उनको आनलाइन रा''ान कार्ड बनवाने तथा आधार कार्ड से जोड़ने की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी नहीं है । इसमें आय प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज भी लगते हैं । रा''ान कार्ड बनवाने की प्रक्रिया में जटिलता के कारण निर्धन व अन्त्योदय परिवार के रा''ान बनवाने में अनेकों कठिनाइयाँ आती हैं ।

5. **अधिनियम का धीमा क्रियान्वयनः**— अधिकां''ा राज्यों में इस अधिनियम का क्रियान्वयन धीमा रहा व उसमें अनेकों कमियां थी । स्थानीय स्तर पर जिला पूर्ति कार्यालय में भी इसके क्रियान्वयन की गति धीमी रही ।
6. **पूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनि"चत नहीं**ः— इस अधिनियम में केवल गेहूँ व चावल का आंवटन अत्यधिक हुआ । इससे परिवारों की पूर्ण खाद्य सुरक्षा सुनि"चत नहीं हो पायी है। दलहन, तिलहन, चीनी आदि के आंबटन पर इसमें ध्यान नहीं दिया गया है ।
7. **"ाकायकर्ताओं की संख्या काफी कमः**— निरक्षर रा''ान कार्ड धारकों ने "ाकायत की कि उन्हें पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। अतः वर्तमान में "ाकायकर्ताओं की संख्या काफी कम है। कभी—कभी रा''ान डीलरों के अनुचित दवाब के कारण भी कम "ाकायत कर पाते हैं।
8. **अनपढ़ का प्रति"ात काफी अधिकः**— रा''ान कार्ड धारकों के अनपढ़ का प्रति''ात काफी अधिक है। अ"िाक्षा के कारक वह अधिनियम के सम्पूर्ण लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं।
9. **कम खाद्यान सहायताः**— इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली मासिक खाद्यान सहायता बहुत सीमित है। कम खाद्यान सहायता के कारण रा''ान कार्ड धारकों को केवल अल्प समय में ही लाभ मिल पाता है परन्तु वह गरीबी, भुखमरी व कुपोषण के जाल से मुक्त नहीं हो पाता।
10. **गर्भवती महिलाओं का पोशणः**— यद्यपि गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिये इसमें खाद्यान सुरक्षा दी गयी है परन्तु उनको प्रदान की जाने वाली

6000/– रूपये की रा"ि उस समय उनकी समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये अपर्याप्त है ।

11. **बच्चों का पोशणः**– बच्चों के पोषण का ध्यान भी इस अधिनियम में रखा गया है लेकिन वह भी बच्चों की आव"यकताओं की तुलना में बहुत कम है । बच्चों के विकास के लिये दूध, अंडा, कैल्सियम आदि पोषक तत्व आव"यक होते है। इसमें ध्यान नहीं दिया गया है।

राश्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर सुधार– पूर्व की लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के ऊपर सुधार करने के लिये राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण दे"ा में लागू की गयी। यद्यपि यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है लेकिन इस अधिनियम में अनेकों सुधार किये गये है। इन सुधारों का वर्णन निम्नलिखित है।

1. **उपभोक्ता वस्तुओं का विविधताः**– इस अधिनियम में खाद्यान्नों की घर–घर आपूर्ति सुनि"ि"चत करने पर बल दिया गया है । उनको प्रतिमाह खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी । इसमें खाद्य आबंटन में सूचना एवं प्रौद्यौगिकी का अनुप्रयोग, लाभार्थी की वि"ि"ष्ट पहचान के लिये आधार कार्ड से जोड़ना तथा उपभोक्ता वस्तुओं का विविधता को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जोड़कर नये परिवर्तन किये गये हैं ।
2. **राज्यों की सहायताः**– इसमें खाद्यान्नों की राज्य से बाहर ढुलाई और रखरखाव के लिये राज्यों की सहायता प्रदान कर रही है । जिससे राज्य

सरकार द्वारा खाद्यान्नों की ढुलाई आबंटन और प्रभावी रखरखाव कर सके ।

3. **समय से खाद्यान्नों के आबंटन पर बलः**— इसमें प्रति माह समय से खाद्यान्नों के आबंटन पर बल दिया गया है अगर लाभार्थी तक खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं हो पाती है तो उनको खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जायेगा ।
4. **विविध पोशण सम्बन्धी कार्यक्रमः**— इसमें महिलाओं, बच्चों ओर बुर्जुगों को पोषण सम्बन्धी सहायता अलग से प्रदान की जा रही है । उनके लिये वि"ौष कार्यक्रम बनाये गये है ताकि उनको पोषण सम्बन्धी समस्यायें न हो ।
5. **विविध खाद्य सुरक्षाः**— इसमें चीनी व मिट्टी का तेल के आबंटन को बंद करने का सुझाव भारत सरकार का था । उपभोक्ता को अन्य विविध खाद्य सुरक्षा बढ़ाने पर बल दिया गया है ।
6. **उचित मूल्य की दुकानों पर नियंत्रणः**— वितरण कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला पूर्ति कार्यालय द्वारा किया जाता है । उनकी सकारात्मक भूमिका में बृद्धि करके समय पर खाद्यान्न आबंटन व उचित मूल्य की दुकानों पर नियंत्रण करने की व्यवस्था की गई है ।
7. **अपात्र लाभार्थीः**—अपात्र लाभार्थियों को वितरण प्रणाली के लाभों से वंचित किया गया। तथा फर्जी रा"ानकार्ड बनवाकर लाभ लेने वाले परिवारों को वितरण प्रणाली से आधार लिंक करके बाहर किया। इसमें राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया है कि वह पात्र लाभार्थियों का

चयन करें तथा थम्ब इम्प्रै''ान द्वारा रा''ान के खाद्यान्नों का वितरण हो तथा यह अध्यादे''ा पूरे भारत वर्ष में लागू किया गया है तथा राज्यों को समयबद्ध तरीके से योजनायें बनाकर क्रियान्वित करने का प्रावधान इसमें है । इसमें सम्पूर्ण दे''ा के लिये एक नियम बनाये गये है । अतः यह समरूपता वाली वितरण प्रणाली है।

8. **सम्पूर्ण भारत में एक साथ क्रियानवितः**– अधिनियम बनाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया इससे खाद्यान्न सुरक्षा गरीबों को निरन्तर प्राप्त होती रहेगी। इस अधिनियम में तीन वर्ष बाद सं''ोधन का भी प्रावधान है जिससे वंचित खाद्य सहयता खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार अपने संसाधनों के अनुसार बाद में प्रदान कर सकती है। यह अधिनियम सम्पूर्ण भारत में एक साथ क्रियानवित किया गया।
9. **प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली लागू करने की दि''ा में कदम**– प्रत्यक्ष अंतरण प्रणाली में रा''ान कार्ड धारकों के खाते में सीधे खाद्यान्न सहायता पहुचाई जाती है जिससे वह खुले बाजार में उच्च गुणवत्ता के खाद्यान्नों का क्रय कर सके इससे उचित मूल्य की दुकानों में रख–रखाव व्यय में कमी आयेगी। यातायात व्यय बहुत अधिक है यह व्यय बचेगा और इसका लाभ निर्धनों को दिया जायेगा। इसी प्रकार खाद्यान्न भण्डार व वितरण के मध्य होने वाली खाद्यान्न बरबादी की समस्या से भी बचा जा सकता है। इस प्रणाली का प्रयोग अभी सरकार कुछ केन्द्र शासित प्रदे''ाों में किया है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पारिख किरीट एस0, खाद्य सुरक्षा कानून–क्या भूख और कुपोषण का खात्मा कर पाएगा, नई दिल्ली, योजना भवन, संसद मार्ग, योजना, वॉ0 58, अंक 12, दिसम्बर 2013.
2. प्रसाद सिंह अभय, समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन, नई दिल्ली, ओरएिन्ट ब्लैकस्वॉग, 2015.
3. बैनर्जी अमलेश, फूड सिक्योरिटी एण्ड पी.डी0एच. टुडे : सक्सैस एण्ड फेलियर, न्यू देहली, कनिष्का पब्लिशर्स, 2004.
4. मोदी के0 एम0, खाद्य सुरक्षा : चुनौतियाँ और समाधान, नई दिल्ली, निर्माण भवन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कुरुक्षेत्र, वॉ0 58, अंक 5, मार्च 2012.
5. मिश्रा एस0 के0 एण्ड पुरी वी0के0, इण्डियन इकोनोमी, नई दिल्ली, हिमालया पब्लिकेशन्स, 2011.